उनवानी प्रकरणः– सरकार बनाम शिवकुमार पुत्र गोपीबल्लभ

मु.न.:– ....93..../2025   कि0मु0:– प्रार्थना पत्र   धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
18.12.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी शिवकुमार पुत्र गोपीबल्लभ जाति ब्राहाण निवासी बालेर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम बालेर के सम्बत् 2075–2078 के खाता संख्या 10 द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्त कार है जिसमें प्रार्थी का नाम गुडडू पुत्र गोपीबल्लभ के स्थान पर सही नाम शिवकुमार पुत्र गोपीबल्लभ शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार खण्डार द्वारा करवाये जाने पर तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम शिवकुमार पुत्र गोपीबल्लभ है जिसे दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेजो एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम शिवकुमार पुत्र गोपीबल्लभ होना अंकित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बालेर के सम्बत् 2075–2078 के खाता संख्या 10 में गुडडू पुत्र गोपीबल्लभ के स्थान पर सही नाम शिवकुमार पुत्र गोपीबल्लभ शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। उपखण्ड अधिकारी खण्डार (सवाई माधोपुर)	

उपखण्ड अधिकारी ... (स॰ मा॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2025.12.23 14:48:28 IST
Reason: SelfAttested